तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज नाराराम बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 77 / 2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.05.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी नाराराम पुत्र बस्तीराम उज्जवल निवासी मेन रोड़ मदेरणा कॉलानी, दाउ किराणा स्टोर के पास भदवासिया, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.03..19 में उसके द्वारा (1) म्यूटेशन सं0 2 दिनांक 21.02.59 व म्यूटेशन सं0 32 दिनांक 24.09.60 के अनुसार खसरा नम्बर 327 गांव पीपरली तह. लूणी के समिल रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.((तहसीलदार लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोट प्रस्तुत नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने पर प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	